झारखण्ड सरकार
<u>पेयजल एवं स्वच्छता विभाग</u>

आदेश

राँची, दिनांकः– 16/9/19

संचिका संख्या–04 / आ0–03–1013 / 2019 159 / अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता नागरिक अंचल राँची के पत्रांक 772 दिनांक 14.08.2019 द्वारा विभाग को श्री सुभाष कुमार, कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची पूर्व, राँची द्वारा श्री अनुज कुमार त्रिवेदी, भण्डार चौकीदार (रिनपास) के साथ मिलकर श्री त्रिवेदी का स्थानांतरण आदेश रद्द करने का दबाव बनाने के पश्चात् श्री कुमार द्वारा टांगी से अधीक्षण अभियंता पर जानलेवा प्रहार कर जख्मी करने की सूचना विभाग को दी गई एवं दोनों कर्मियों के विरूद्ध डोरण्डा थाना में FIR दर्ज करने की सूचना देते हुए विभाग से दोनों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

2. वर्णित मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा श्री कुमार तथा श्री त्रिवेदी द्वारा मिलकर वरीय पदाधिकारी पर दबाव बनाते हुए सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने एवं श्री कुमार द्वारा अधीक्षण अभियंता पर जानलेवा हमला करने हेतु सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 के विरूद्ध आचरण का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाते हुए विभागीय आदेश संख्या 142 दिनांक 19.08.2019 द्वारा श्री कुमार, कनीय अभियंता को निलंबित किया गया एवं उनके विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने संबधी आदेश अलग से निर्गत का आदेश दिया गया है।

3. उक्त आदेश के आलोक में श्री सुभाष कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची पूर्व, राँची सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित जाती है।

4. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री इन्द्रदेव मण्डल, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री कमल किशोर पटेल, प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

5. जाँच संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अधिकतम 105 दिनों (तीन माहपन्द्रह दिनों) में जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगें।

6. आरोपित पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे 15 (पन्द्रह) दिनों में अपना लिखित बचाव–बयान जाँच संचालन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे तथा उनके निर्देश पर उनके द्वारा निर्धारित तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन में हर अपेक्षित सहयोग करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री कुमार एवं अन्य संबंधित को प्रपत्र–क (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया जाय।

16/9/19

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)

ज्ञापांक– 3269 राँची, दिनांक– 16/9/19

प्रतिलिपि– मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/,सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख कोषांग/सभी संयुक्त सचिव /सभी मुख्य अभियन्ता/सभी अधीक्षण अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/ अवर सचिव(प्रशाखा–03 एवं 04)/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यॉंत्रिक सहित)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9/19

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3269 राँची, दिनांक– 16/9/19

प्रतिलिपि– श्री इन्द्रदेव मण्डल, संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची– सह–जाँच संचालन पदाधिकारी तथा श्री कमल किशोर पटेल, प्रशाखा पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को प्रपत्र–क (साक्ष्य सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0ः–यथावर्णित।

16/9/19

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3269 राँची, दिनांक– 16/9/19

प्रतिलिपि– श्री सुभाष कुमार, निलंबित कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, साहेबगंज को प्रपत्र–क (साक्ष्य सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि जाँच संचालन पदाधिकारी के निदेश पर सुनवाई के हर तिथि को उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्पित करेगे तथा जाँच कार्य में हर आपेक्षित सहयोग करेगें।

अनु0ः–यथावर्णित।

16/9/19

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3269 राँची, दिनांक– 16/9/19

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वचछता प्रमण्डल, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की प्रति श्री कुमार, निलंबित कनीय अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल प्रमण्डल, साहेबगंज को उपलब्ध कराते हुए निदेश का अनुपालन कराया जाय।

16/9/19

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 3269 राँची, दिनांक– 16/9/19

प्रतिलिपि–श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT) (PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/9/19

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)